शासकीय महाविद्यालय खेरथा

जिला - बालोद (छ.ग.) 491-771

फोन : 07748-299900

A NAAC ACCREDITED INSTITUTE
(B Grade CGPA 2.36)

PROSPECTUS

प्राचार्य की कलम से .....

प्रिय विद्यार्थियों एवं पालकों,

शासकीय महाविद्यालय खेरथा की स्थापना सन् 2008 में की गई। इस महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर तीन संकायों में क्रमशः कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में एवं स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विषय के अध्यापन होता है।

हेमचंद यादव वि.वि. दुर्ग से सम्बद्ध यह महाविद्यालय राज्य शासन अनुदानों से निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर एवं उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में विकसित होने का प्रयास कर रहा है। अपने विशिष्ट कार्यों के बल पर हम अपने लक्ष्यों तथा उद्देश्य की प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील है।

महाविद्यालय की सक्रिय जन-भागीदारी समिति के अध्यक्ष माननीय श्री गोपाल प्रजापति हैं, जिनके उत्साहवर्धक प्रयासों एवं सतत् सहयोग से यह महाविद्यालय समग्र विकास के पथ पर आगे बढ़ने को प्रयासरत है।

हमारा उद्देश्य सामाजिक एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप समग्र विकास के साथ विशिष्ट व्यक्तित्व का सृजन करना है । राज्य शासन की प्रेरणा व मार्गदर्शन से समस्त महाविद्यालय परिवार, जनभागीदारी समिति एवं अन्य संस्थानों के आपसी सामंजस्य से शिक्षा, अनुसंधान एवं शैझणेत्तर गतिविधियों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करते हुए भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों में अटूट विश्वास रखते हुये हम आधुनिक पीढ़ी को विश्वस्तरीय गुणवक्ता के अनुरूप गढ़ने एवं निष्ठापूर्वक कार्य करने के लिये वचनबद्ध है।

NAAC मूल्यांकन महाविद्यालय प्रथम प्रयास में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए 2.36 CGPA 'B' ग्रेड के साथ जिले के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहा।

प्रिय विद्यार्थियों। हम आप सबका नये सत्र में हार्दिक स्वागत करते है। हम आपको विश्वास दिलाते है कि आप इस संस्था के समृद्ध शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक वातावरण से उल्लासित एवं प्रभावित होंगे । मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।

डॉ. यासर कुरैशी
प्राचार्य

PROSPECTUS

विवरणिका

सत्र 2023-24

A NAAC ACCREDITED INSTITUTE
("B" Grade CGPA 2.36)

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग से सम्बद्ध

शासकीय महाविद्यालय, खेरथा

जिला-बालोद (छ.ग.) 491771

फोन : (07748-299900)

अनुक्रमणिका

लक्ष्य एवं उद्देश्य	....	03
प्रवेश संबंधी नियमावली	....	4–13
संचालित पाठ्यक्रम एवं अध्ययन के विषय	....	4–11
विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता	....	14
छात्र-छात्राओं हेतु सुविधायें	....	15
खेलकूद	....	15
रेमेडियल / ट्यूटोरियल / विशेष कक्षाएँ	....	16
शुल्क विवरणिका	....	16
अतिथि व्याख्यान	....	16
शैक्षणेत्तर गतिविधियाँ	....	16
शैक्षणिक भ्रमण	....	17
संगोष्ठी / कार्यशाला / वाद-विवाद / प्रश्नमंच / विज्ञान प्रदर्शनी	....	17
पूर्व विद्यार्थी समिति	....	17
एन्टी रैगिंग समिति	....	17
पुरस्कार वितरण समारोह	....	17
आंतरिक मूल्यांकन प्रकोष्ठ	....	17
रैगिक	....	18
छ.ग. लोक सेवा गारंटी	....	19–20
उच्च शिक्षा विभाग का सिटीजन चार्टर	....	21
सहयोगी कर्मचारियों की सूची	....	22

GOALS & OBJECTIVES (लक्ष्य एवं उद्देश्य)

1. To achieve the best possible standards in education, research and out reach programmes.
   शिक्षा, अनुसंधान एवं अन्य क्षेत्रों में संभव गुणवता प्राप्त करना
2. To promote academic programmes relevant to socioeconomic needs of the nation.
   राष्ट्र की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरुप प्रासंगिक अकादमिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन
3. To promote networking with various centres/departments and labs around the country.
   राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं व प्रयोगशालाओं के साथ संबंध बनाये रखना
4. To promote skill oriented programmes.
   विभिन्न क्षेत्रों में कौशलोन्मुख कार्यक्रमों को विकसित करना
5. To enchance the quality of the learning and teaching process at U.G. level.
   स्नातक स्तर पर अध्ययन एवं अध्यापन की गुणवत्ता को बढ़ाना
6. To bring forward the inherent telents of students and encourage creativity.
   विद्यार्थियों की छुपी हुई प्रतिभा को बाहर लाना तथा सीखने हेतु रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना
7. To develop awareness towards social & environmental problems.
   सामाजिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरुकता उत्पन्न करना

Core Values of the Institute

- Education for self - reliance
- Education for employability
- Nurturing responsible citizenship values among rural youth.
- Institutional accountability towards society.
- Model work culture with academic integrity
- Active participation in National Flagship Programs.

संस्थान के आतंरिक नैतिक मूल्य

- आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा
- रोजगार हेतु शिक्षा
- ग्रामीण युवाओं के मध्य जिम्मेदार नागरिक मूल्यों का पोषण
- समाज के प्रति संस्थागत जवाबदेही
- अकादमिक अखंडता के साथ आदर्श कार्य संस्कृति
- फ्लैगशिप राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता

छत्तीसगढ़ शासन उच्चशिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सत्र 2023–24

1 प्रयुक्ति

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय /अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधि नियम–1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे ।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम सेमेस्टर से है।

2 प्रवेश की तिथि

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना:– इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु "ऑनलाईन" फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। "ऑनलाईन" से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाईन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्र सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदनपत्र जमा किये जा सकेंगे।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :– स्थानान्तरण प्रकरण को छोड़कर 16 जून से 16 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 26 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे । (स्नातक प्रथम व,र्ा में प्रवेश की तिथि 16 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से 15 जुलाई तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देषों के अनुसार प्रवेष प्रकिया की जावेगी। परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिवस के भीतर प्रवेश कार्य पूर्ण किये जायेंगे। कंडिका 5. 1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र / पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

विशेष टीप :– सन 2023–24 की प्रवेश प्रक्रिया में सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. बोर्ड एवं अन्य बोर्ड जिनके परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुये है ऐसे आवेदक संबंधित वोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के अंतर्गत प्रथम टर्म में प्राप्त अंक पत्रक की छायाप्रति संबंधित विद्यालय के प्राचार्य से हस्ताक्षर करवाकर अपलोड करेंगे। सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस. ई. के ऐसे आवेदक जिनका संबंधित विद्यालय द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पत्रक उपलब्ध नहीं करा रहें हैं ऐसे आवेदक प्रथम टर्म के अंकों के लिए वचन पत्र स्वयं/अभिभावक के हस्ताक्षर से अपलोड करेंगे! वचन पत्र असत्य पाये जाने पर प्रवेशित विद्यार्थी का प्रवेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा पढा जावे।

स्पष्टीकरण:– आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानान्तरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत् थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानान्तरण होते ही, स्थान (ब)

के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिये निर्धारित तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।"

2.3 **पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना** :– विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण

3. प्रत्येक कक्षा के लिये सीट संख्या एवं अध्यापन के विषयों का निर्धारण :–

3.1 महाविद्यालय में उपलब्ध साधनों तथा कक्ष में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि तथा शासन की अनुमति के आधार पर विभिन्न कक्षाओं के लिए निम्नानुसार प्रवेश संख्या निर्धारित है :–

	कक्षा	सीट संख्या
1.	बी.एस.सी. भाग–1 (बॉयो.)	100
2.	बी. कॉम. भाग–1	60
3.	बी.ए. भाग–1	100
4.	एम.ए. राजनीति विज्ञान	25

3.2 प्रत्येक कक्षा के लिए अध्ययन विषय/विषय पर समूह का निर्धारण निम्नानुसार है –

बी.ए. भाग–1 1. अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम (हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा) एवं पर्यावरण अध्ययन एवं मानव अधिकार
2. वैकल्पिक विषय – 1. समाजशास्त्र 2. राजनीति शास्त्र 3. हिंदी साहित्य 4. भूगोल

बी.ए. भाग–2 एवं 3 1. अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम (हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा)
1. समाजशास्त्र 2. राजनीति शास्त्र 3. हिंदी साहित्य 4. भूगोल

बी. कॉम. भाग–1 1. अनिवार्य विषय–आधार पाठ्यक्रम (हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा) एवं पर्यावरण अध्ययन एवं मानव अधिकार
ग्रुप – 1 1. वित्तीय लेखांकन 2. व्यावसायिक सम्प्रेषण
ग्रुप – 2 1. व्यावसायिक गणित 2. व्यावसायिक नियमन रूपरेखा
ग्रुप – 3 1. व्यावसायिक पर्यावरण 2. व्यावसायिक अर्थशास्त्र

बी. कॉम. भाग–2 1. अनिवार्य विषय–आधार पाठ्यक्रम (हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा)
ग्रुप – 1 1. निगमीय लेखांकन 2. कंपनी अधिनियम
ग्रुप – 2 1. लागत लेखांकन 2. व्यावसायिक प्रबंध के सिद्धांत
ग्रुप – 3 1. व्यावसायिक सांख्याकी 2. उद्यमिता के मूलाधार

बी. कॉम. भाग–3 1. अनिवार्य विषय–आधार पाठ्यक्रम (हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा)
ग्रुप – 1 1. आयकर 2. अंकेक्षण
ग्रुप – 2 1 अप्रत्यक्ष कर जीएसटी सहित 3. प्रबंधकीय लेखांकन
ग्रुप – 3 – 1. विपणन के सिद्धांत 2. अंतर्राष्ट्रीय विपणन

बी.एस.सी. भाग–1 (बॉयोलाजी ग्रुप) 1. अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम (हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा) एवं पर्यावरण अध्ययन एवं मानव अधिकार
2. वैकल्पिक विषय – प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, भूगोल

बी.एस.सी. भाग–2 (बायोलाजी ग्रुप) 1. अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम (हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा) एवं पर्यावरण अध्ययन एवं मानव अधिकार
2. वैकल्पिक विषय – प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान रसायन शास्त्र

स्नातकोत्तर – एम.ए. राजनीति शास्त्र

4. प्रवेश सूची

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांको एवं जहाँ अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों के गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी ।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलानकर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पष्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र पर " प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये ।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये 100/– अशासकीय मद में अतिरिक्त रुपसे वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 26 अगस्त के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

4.5 स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र गुम जाने की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये । पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/ अनुशासनहीनता /तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बंद कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 राज्य शासन, द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक/ स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देषों का पालन किया जाए।

5 प्रवेश की पात्रता

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षाः–

(क) छत्तीसगढ के मूल/स्थायी छत्तीसगढ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/ राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यवसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ में है, उनके पुत्र /पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पष्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेशः–

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदको को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस. सी.(गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्र/छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यर्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य

संकाय में प्रवेश पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी. एस.सी. (बायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्ही विषयों की क्रमशः द्वितीय /तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विशय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेशः–

(क) बीकॉम / बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) /बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम. / एम. एस. सी (गृह विज्ञान) / एम.ए. प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर, बी. एस. सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम. एस सी/ एम. ए. प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर / पूर्व–भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विशय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान / अर्हता ही बंधनकारी होंगे।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी (Allowed To KeepTerm) नियम :–

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्राविधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्राविधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्राविधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेष :–

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेष की पात्रता होगी ।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा ।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :– विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु 40%, अन्य पिछडा वर्ग 42%) होगी। विधि स्नातकोत्तर पूर्वाद में 55% अंक (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछडावर्ग 50%) प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.6 AICTE / NCTE/ BAR COUNCIL OF INDIA / MEDICAL COUNCIL OF INDIAसे अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेष/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. समकक्ष परीक्षा

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेषन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों / इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक षिक्षा मण्डल की10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विष्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOUको छोडकर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ राज्य के बाहर के किसी भी

विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र–छात्राओं को प्रवेष देने / डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री /डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विष्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें ।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विष्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1–52/2013 (सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार –"जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है।

वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य / समस्तरीय प्रमाणपत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विष्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।"

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./ बी.कॉम/ बी.एस–सी/ बी.एच.एस–सी में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/ द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय /तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/ विषय समूहों में आवेदकों पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पष्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/ द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातकस्तर की प्रथम/ द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पष्चात् ही उन्हीं विषयों/ विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ–पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/ गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विवि से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8 अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेन्ट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/ द्वितीय/ तृतीय में पूरक/ एटी–केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम/ द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेष नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जायेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएं

9.1 किसी भी महाविद्यालय /विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र तथा शपथ–पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा

9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/ अधिकारियों/ कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/ मारपीट करने के गंभीर आरोप हो /चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो. ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिये प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड फोड करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/ रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जॉच करवाये एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेष निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय /अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावें ।

9.4 **प्रवेश हेतु आयु सीमा** :–छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 दिनांक 15.08.2021 द्वारा सभी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/ अशासकीय सेवा कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

10 प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश नियमानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार जोड़ कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित माप दण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जायेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक / स्नातकोत्तर / विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

11.2 स्नातक/ स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त उत्तीर्ण नियमित / उत्तीर्ण भूतपूर्व नियनित/ एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/ स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा ।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण परन्तु 48 प्रतिशत एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों / तहसीलों / जिलों के निवासरत अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थियों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण–छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा अर्थात:–

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 32 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 12 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित रहेंगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 14 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित रहेंगी।

परन्तु, जहां अनुसूचित जनजातियों के साथ–साथ अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जायेगा । आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम पात्र विद्यार्थियों में से भरा जायेगा।

परन्तु यह और की पूर्वगामी परंतु क में निर्दिष्ट व्यवस्था के पष्चात् भी जहां खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जायेगा।

12.2 (1) बिन्दु क्रं. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण (वर्टीकल) रुप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्रं. 12.1 के खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर के भीतर होगा ।

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित माप दण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जायेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक / स्नातकोत्तर / विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

11.2 स्नातक/ स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त उत्तीर्ण नियमित / उत्तीर्ण भूतपूर्व नियनित/ एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/ स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा ।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण परन्तु 48 प्रतिशत एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों / तहसीलों / जिलों के निवासरत अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थियों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण–छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा अर्थात:–

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 32 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 12 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित रहेंगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 14 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित रहेंगी।

परन्तु, जहां अनुसूचित जनजातियों के साथ–साथ अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जायेगा । आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम पात्र विद्यार्थियों में से भरा जायेगा।

परन्तु यह और की पूर्वगामी परंतु क में निर्दिष्ट व्यवस्था के पष्चात् भी जहां खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जायेगा।

12.2 (1) बिन्दु क्रं. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण (वर्टीकल) रुप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्रं. 12.1 के खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर के भीतर होगा ।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिये 3% स्थान आरक्षित रहेंगे। तथा निःषक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये 5% स्थान आरक्षित रहेंगे।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 % स्थान छात्राओं के लिए आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटिशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जायेगी। शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी। .

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा।) प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत के बीच आने वाले पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा आश्रितों को 5% तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10% की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय–समय पर षासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये ।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. (सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15/04/2014 की कंडिका 129 (3) में यह निर्देश दिया गया है कि

" We direct the centre and the State Government to take Steps to treat them associally and educationally backward classes of citizens and extent all kinds of reservation incases of admission in educational institutions and for public appoinments- " का कडाई से पालन किया जाये।

13. अधिभार

अधिमार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पष्चात बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट शब्द को स्काउट्स/ गाइड्स/ रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे ।

(क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट – 02 प्रतिशत

(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स – 03 प्रतिशत

(ग) "सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स – 04 प्रतिशत

(घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों का – 04 प्रतिशत

(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छ ग के एन.सी.सी./ एन.एस.एस. कंटिन्जेन्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को – 05 प्रतिशत

(छ) राज्यपाल स्काउट्स – 05 प्रतिशत

(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स — 10 प्रतिशत

(झ) छ.ग. का सर्वश्रेश्ठ एन.सी.सी. कैडेट — 10 प्रतिशत

(य)ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट — 10 प्रतिशत

(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट एन.सी.सी/ एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अंतर्रा,ट्रीय जम्बूरी के लिए चयनित होने वाले विद्यार्थियों को —15 प्रतिषत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर — 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/ रूपांकन प्रतियोगिताएं:–

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छ.ग. उच्चशिक्षा संचालनालय आयोजित अन्तर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/ क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :–

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तक्षेंत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रिय प्रतियोगिता में

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करनेवाले को — 07 प्रतिशत

(ग) संभाग / क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विष्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :–

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को —15 प्रतिशत

(ख) द्वितीय अथवा तष्तीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को–12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राश्ट्रों के मध्य साइंस एवं कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान/ सांस्कृतिक/ साहित्यिक/ कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रयास करने वाले दल के सदस्य को — 10 प्रतिशत

13.5 छ.ग. शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राश्ट्रीय प्रतियोगिता में :–

(क) छ.ग./मप्र का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को — 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम द्वितीय तष्तीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम के सदस्य को —12 प्रतिशत

13.6 जम्मू कश्मीर के विस्थापितों एवं उनके आश्रितों को — 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन–छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी के राष्ट्रीय के स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ऑलम्पियाड/ एशियाड/स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है

कि–1. इस प्रकार के प्रमाण–पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण छ.ग. शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं

2. यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यर्थियों को, मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र या स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे । स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे ।

14. संकाय /विषय /ग्रुप परिवर्तन

स्नातक/ स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय /ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा । महाविद्यालय में स्नातक/ स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय / ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 15 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी । यह अनुमति उन्ही विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विशय /संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो ।

16. विशेष

16.1 जाली प्रमाण–पत्रों, गलत जानकारी, जान बूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार 1 माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा ।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुषासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा ।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण मार्गदर्शन आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेशित लिखकर प्रेषित न किया जाये ।

16.6 इस मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्चशिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय–समय पर परिवर्तन/ संशोधन/ निरसन /संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा ।

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता

सामान्य निमय

छत्तीसगढ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाल प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियामों का अक्षरश: पालन करना होगा । इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा ।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा । किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए ।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा ।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग वाली गाली गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा ।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं शालीनता का व्यवहार करेगा ।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल व निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा ।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा ।
7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गन्दा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है । असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधयों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी ।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा का आतक फैलाकर नहीं करेगा । विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी माँगों को मनवाने के लिए राजनैतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा ।

अध्ययन संबंधी नियम

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.एस.एस. में भी लागू होगी । अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नही होगी ।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला मे उपकरणों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करेगा । उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा ।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा ।
4. अध्ययन से सम्बन्धित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा ।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा ।

परीक्षा संबंधी नियम

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई, परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है ।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा ।
3. परीक्षा में या उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा ।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

1. यदि छात्र किसी अनैतिकतामूलक गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा ।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है ।
3. यदि विद्यार्थी समय-सीमा में शुल्क भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा ।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा, अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा ।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे ।

छात्र-छात्राओं हेतु सुविधायें

1. विद्यार्थी सहायता निधि : गरीबी रेखा के नीचे के आय समूह के जरुरतमंद विद्यार्थियों को इस निधि से उपलब्धता एवं संबंधित शिक्षक समिति की अनुशंसा के आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।
2. छात्रवृत्ति : महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग विद्यार्थियों को शासन की योजनाओं के अनुरुप छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ।
3. पुस्तकालय एवं वाचनालय : इस महाविद्यालय के पुस्तकालय एवं वाचनालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें, पत्रिकाएँ, समाचार पत्र आदि विद्यार्थियों हेतु उपलब्ध है ।
4. Girls Common Room : इस महाविद्यालय में छात्राओं के लिए Girls Common Room की व्यवस्था है ।
5. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ : इस प्रकोष्ठ के लिये शिक्षकों की एक समिति गठित की जाती है, जो विद्यार्थियों से प्राप्त विभिन्न तरह की शिकायतों का निवारण करती है ।
6. महिला परामर्श प्रकोष्ठ (Woman Counseling Cell) : इस महाविद्यालय के विशेषज्ञों की एक समिति महिलाओं से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर परामर्श (Conselling) के द्वारा मार्गदर्शन करती है ।
7. चिकित्सा सुविधा : महाविद्यालय के विज्ञान, एन.एस.एस. के छात्रों द्वारा चिकित्सक के मार्गदर्शन में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं का सामान्य परीक्षण कराया जाता है । महाविद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा (First aid) की भी व्यवस्था है।
8. खेलकूद : छात्राओं के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास के लिए महाविद्यालय में खेलकूद से सम्बन्धित विविध गतिविधियों के लिए प्राध्यापकों की एक समिति गठित की जाती है । महाविद्यालय द्वारा खेलकूद संबंधी सुविधाओं का विवरण निम्नलिखित है -

खेल मैदान :- लगभग 4 एकड़

(अ) आउटडोर : क्रिकेट, एथलेटिक्स, खो-खो, वालीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिन्टन, कबड्डी

(ब) इन्डोर : कैरम, शतरंज, टेबल टेनिस

9. रेमेडियल / ट्यूटोरियल / विशेष कक्षाएं : इस महाविद्यालय के प्राध्यापकों के द्वारा हर कक्षा के कमजोर एवं देदीप्यमान छात्रों को पहचान कर उनके लिए आवश्यकता अनुसार रेमेडियल / ट्यूटोरियल / विशेष कक्षाएं ली जाती है ।
10. अतिथि व्याख्यान : महाविद्यालय में विभिन्न विषयों में व्याख्यान हेतु विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है ।

शुल्क विवरणिका

शासकीय

शिक्षण शुल्क	-	115.00
प्रवेश शुल्क	-	05.00
स्टेशनरी शुल्क	-	05.00
प्रायोगिक (विज्ञान/भूगोल) शुल्क	-	20.00

अशासकीय

	स्नातक	-	600.00
	स्नातकोतर	-	640.00
3.	रेडक्रास शुल्क	-	40.00
4.	जनभागीदारी शुल्क	-	500.0

1. शासन द्वारा छात्राओं एवं अनुसूचित जाति/जनजाति एवं तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पुत्र छात्रों को रु. 115.00 शिक्षण शुल्क में छूट है ।
2. बी.ए. / बी.कॉम. / बी.एस.सी. भाग दो और तीन के नियमित छात्राओं को सुरक्षा निधि नही लगेगा ।

शैक्षणेत्तर गतिविधियाँ

N.S.S. (राष्ट्रीय सेवा योजना) : **इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सेवा की भावना विकसित कर उनके व्यक्तित्व का विकास करना है ।**

गतिविधि समितियाँ (Activity Committee) : **विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिये इस महाविद्यालय में निम्नलिखित समितियों का गठन किया जाता है ।**

1. सांस्कृतिक समिति (Cultural Committee)
2. सामाजिक गतिविधि समिति (Social Activity Committee)
3. विज्ञान समिति (Science Committee)
4. क्रीड़ा समिति (Sports Committee)
5. लैंगिक मामलों की समिति (Gender Issue Committee)
6. पर्यावरण समिति (Eco Committee)
7. अनुशासन समिति (Discipline Committee)
8. ऐंटीरैगिंग समिति (Antiraging Committee)
9. भौतिक सत्यापन समिति (Physical Varifiacation Committee)
10. रेडक्रॉस समिति (Redcross Committee)
11. स्टूडेन्ट सर्विस सेंटर (Student Service Centre Committee)
12. रिसर्च एण्ड डेवेलपमेंट समिति (RDC Committee)

शैक्षणिक भ्रमण : महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं को उनके विषय का व्यावहारिक ज्ञान देने हेतु भ्रमण के लिए ले जाया जाता है

संगोष्ठी / कार्यशाला / वाद-विवाद / प्रश्नमंच / विज्ञान प्रदर्शनी : स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्राओं के बहुमुखी विकास के लिए समय-समय पर विभिन्न विषयों पर संगोष्ठी / कार्यशाला / वाद-विवाद / प्रश्नमंच / पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन इस महाविद्यालय में किया जाता है ।

पूर्व विद्यार्थी समिति (Alumni Association) : राष्ट्र, राज्य एवं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुकी एवं योगदान देने वाली इस महाविद्यालय के पूर्व छात्र-छात्राओं का यह संगठन विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श, अनुभव एवं स्मृतियों को आपस में बाँटता है एवं इस महाविद्यालय के विकास में अपना योगदान देता है ।

शिक्षक पालक समिति : पालकों एवं शिक्षकों के बीच विचारों के आदान-प्रदान, विद्यार्थियों के विकास एवं समस्याओं के समाधान के लिये पालक शिक्षक समिति गठित की जाती है, जिसकी बैठक वर्ष में अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर के तीसरे शनिवार को 3.00 बजे दोपहर को आयोजित की जाती है ।

एन्टी रैगिंग समिति : महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले कनिष्ठ विद्यार्थी को वरिष्ठ विद्यार्थी द्वारा किसी भी तरह से परेशान न किया जावे इस हेतु महाविद्यालय में एन्टी रैगिंग समिति गठित की जाती है, जो इस हेतु सावधानीपूर्वक निगरानी रखती है । महाविद्यालय में रैगिंग संबंधी कोई समस्या नहीं है । फिर भी सावधानी के दृष्टिकोण से यह समिति गठित की जाती है ।

पुरस्कार वितरण समारोह : वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर मेधावी छात्रों को शिक्षकों की एक समिति के द्वारा सर्वोच्च अंक पाने वाले छात्र/छात्राओं को गोल्ड मेडल एवं अनुशंसित विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार प्रदान किया जाता है ।

आंतरिक मूल्यांकन प्रकोष्ठ : इस महाविद्यालय में प्राचार्य द्वारा आंतरिक मूल्यांकन प्रकोष्ठ के लिए प्राध्यापकों की एक समिति गठित की जाती है । इस समिति के द्वारा हर माह होने वाली यूनिट टेस्ट, तिमाही एवं छःमाही एवं प्री फाइनल परीक्षाएँ संचालित की जाती है । इसके अतिरिक्त छात्रों के विभिन्न शिक्षणेतर गतिविधियों का भी मूल्यांकन करती है ।

<u>नियमित विद्यार्थी के रुप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता -</u>

1. प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य ।
2. कुल सात आंतरिक परीक्षाओं में से कम से कम पाँच में सम्मिलित होना आवश्यक है ।
3. एन.एस.एस. कैम्प/खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जावेगा ।
4. उपस्थिति की प्रथम गणना 30 नवम्बर तक की जावेगी ।
5. कम उपस्थिति वाले छात्रों को सूचना पटल पर सूचना दी जावेगी ।
6. उपस्थिति की द्वितीय गणना 28 फरवरी तक की जावेगी ।

रैगिंग क्या है ?

रैगिंग के अंतर्गत –

कोलाहलपूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढ़ाना भद्दे या अशिष्ट आचरण करना, उपद्रवी अनुशासनहीन क्रियाकलापों में संलग्न होना जिससे नए विद्यार्थी को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो अथवा उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाला हो, अथवा विद्यार्थी से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, जो छात्र/छात्रा सामान्यतया नहीं कर सकता/सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो अथवा उसके जीवन के लिए खतरा हो ।

कनार्टक शिक्षा अधिनियम, 1983 (कर्नाटक अधिनियम नं. 1955), अनुच्छेद 2(29) के अनुसार रैंगिग की परिभाषा इस प्रकार है :–

किसी छात्र को मजाक में या किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना, जो मानव–मर्यादा के खिलाफ हो या उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे वह हास्यास्पद हो जाए या डरा–धमकाकर, गलत ढंग से रोक कर, गलत ढंग से बंद करके या उसे चोट पहुँचाकर या उसे इस प्रकार की धमकी, गलत अवरोध, गलत ढंग से बंदी बनाने चोट या अनुचित दबाव का भय दिखाकर वैधानिक कार्य करने से मना करना ।

रैगिंग का स्वरूप :– रैगिंग निम्नांकित रूपों (सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नहीं) में पायी जाती है :–

स्पष्ट आदेश :–

1. सीनियर छात्रों को सर कहने के लिए ।
2. सामूहिक कवायद करने के लिए ।
3. सीनियरों के क्लास –नोट्स उतारने के लिए ।
4. अनेक सौंपे हुए कार्य करने के लिए ।
5. सीनियरों के लिए भृत्योचित कार्य करने के लिए ।
6. अश्लील प्रश्न पूछने या उसका उत्तर देने के लिए ।
7. नये छात्रों के सीधेपन के विपरीत आघात पहुँचाने हेतु अश्लील चित्रों को देखने के लिए ।
8. शराब, उबलती हुई चाय, आदि पीने के लिए बाध्य करना ।
9. कामुक संकेतार्थ वाले कार्य, जिससे शारीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा या मृत्यु तक हो सकती है ।
10. नंगा करना, चुंबन लेना आदि ।
11. अन्य अश्लीलताएं करना ।

रैगिंग में लिप्त होने पर दिये जाने वाला दण्ड –

1. प्रवेश निरस्त किया जाना ।
2. कक्षा/छात्रावास से निष्कासित किया जाना ।
3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना ।
4. परीक्षाओं से वंचित करना ।
5. परीक्षा परिणाम रोकना ।
6. राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा युवा–उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध ।
7. संस्था से बर्खास्त किया जाना ।
8. आर्थिक दण्ड रूपये 25,000/– तक ।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) तथा उक्त अधिनियम के तहत बनाये गये छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी (आवेदन, अपील तथा परिव्यय का भुगतान) नियम 2011

पदाभिहित अधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यालय :- डॉ. यासर कुरैशी, प्रभारी प्राचार्य

सं. क्र.	अधिसूचित लोक सेवा	आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज की सूची	सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित समय सीमा	सक्षम अधिकारी का नाम एवं पद नाम	अपील प्राधिकारी का नाम पदनाम एवं कार्यालय का पता	अपील के निराकरण हेतु समय-सीमा
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	सभी प्रकार रिफंड का भुगतान	1) आवेदन पत्र 2) परिचय पत्र 3) जमा राशि की मूलप्रति	15 दिन	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	
2.	महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदनों का निपटारा	निर्धारित आवेदन पत्र के साथ मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, विगत उत्तीर्ण परिक्षाओं की अंकसूची, छ.ग. का निवास प्रमाण पत्र, गेप होने की स्थिति में गेप सर्टि. विगत परीक्षा छत्तीगढ़ के बाहर के बोर्ड, वि. वि. से परिक्षा उत्तीर्ण की दशा में प्रवेश हेतु, वि. वि. से पात्रता प्राप्त कर आवेदन फार्म के साथ जमा करना होगा । डुप्लीकेट स्थानांतरण प्रमाण पत्र होने की स्थिति में थाना में रिपोर्ट की गई एफ.आई.आर. की प्रति एवं वचन पत्र के साथ जमा करना होगा ।	प्रवेश दिन निर्धारित अंतिम तिथि तक	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	
3.	अ. छात्रवृत्ति	निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन विगत उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची एवं नियमानुसार आय, जाति, निवास, परिचय पत्र एवं फीस रसीद की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा	30 दिन के भीतर	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	
4.	ब. छात्रवृत्ति	किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में अपना खाता खोलकर खाता नं. कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।	15 दिवस	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	

5.	पुस्तकों का प्रदाय	स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को 02 पुस्तकें 15 दिवस के लिए निर्गमित किया जाता है । ग्रंथालय से पुस्तकें प्राप्त करते समय परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र-छात्राओं को पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात पुस्तकें प्रदाय की जायेगी ।	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	
6.	स्थनांतरण प्रमाण पत्र जारी करना	आवेदन पत्र के साथ संबंधित विभागों में अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना एवं विगत नियमित परीक्षा उत्तीर्ण होने की अंकसूची की छायाप्रति एवं परिचय पत्र गुम हो जाने की दशा में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।	7 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	
7.	परिचय पत्र	स्नातक प्रथम वर्ष के प्रवेश हेतु आवेदन पत्र के साथ 02 पासपोर्ट फोटो लगाना आवश्यक है, भाग-दो, तीन अंतिम वर्ष के प्रवेश हेतु आवेदन फार्म में विगत वर्ष जारी परिचय पत्र लगाना होगा ।	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	
8.	मार्कशीट	अंकसूची प्राप्त करने हेतु परीक्षा में सम्मिलित होने का प्रवेश पत्र, विशेष परिस्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	
9.	चरित्र प्रमाण पत्र	चरित्र प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के साथ दिया जायेगा, विशेष परिस्थिति में चरित्र प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	

1.	पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी का नाम पदनाम एवं कक्ष क्रमांक	सहायक ग्रेड - 2 लेखा शाखा
2.	अपील प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा	सक्षम अधिकारी के विनिश्चय से 30 दिवस के भीतर

उच्च शिक्षा विभाग का सिटीजन चार्टर

1. उच्च शिक्षा विभाग प्रवेश में उच्च शिक्षा के विकास के लिए उत्तरदायी है । विभाग के अंतर्गत प्रवेश के विभिन्न स्थानों पर उच्च शिक्षा के अध्ययन/अध्यापन के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय संचालित है । जिनका शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन पर विभाग एवं विश्वविद्यालय का नियंत्रण है ।

2. जन साधारण के अपेक्षाओं के अनुरूप महाविद्यालय के शैक्षणिक स्तर को बनाये रखने के कार्य में उच्च शिक्षा विभाग प्रयासरत है । शासकीय महाविद्यालयों में निम्नलिखित कार्यो के संबंध में समय-समय पर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

स. क्र.	विवरण	जिम्मेदार अधिकारी	समय सीमा	निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही न होने की दशा में किस स्तर के अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है ।
1	2	3	4	5
1.	सभी प्रकार के रिकार्डो का भुगतान	संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य	आवेदन प्रप्ति के 15 दिवस के भीतर	क्षेत्रीय अपर संचालक उच्च शिक्षा
2.	महावि. के लिए प्राचार्य द्वारा क्रय की गई सामग्री के देयकों का भुगतान	संबंधित महाविद्यालय		

3. उपरोक्त कॉलम - 2 में अंकित अधिकारी के समय-सीमा में कार्यवाही न किये जाने की शिकायत या अन्य प्रकार की शिकायत भी की जा सकती है । मंत्रालय स्तर पर अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो उन शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करते है । आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है । महाविद्यालय स्तर पर प्राचार्य को जन शिकायत निराकरण के लिए जिम्मेदार बनाया गया है । शिकायतों के निराकरण के लिये महाविद्यालयस्तर पर एवं संभाग स्तर पर 15 दिन तथा राज्य स्तर पर 30 दिन की समय-सीमा निश्चित की गई है ।

प्रमुख सचिव
छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग

महाविद्यालय के कार्यरत अधिकारी / कर्मचारियों की सूची

क्र.	नाम	पद	शैक्षणिक योग्यता	मोबाईल नंबर
1.	श्री यासर कुरैशी	प्राचार्य	पी.एच.डी,, एम.फिल., एम.एस.सी.,	99814-26786
2.	श्री रूमलाल	सहायक प्राध्यापक हिन्दी	एम.ए.(नेट, सेट)	88155-04967
3.	श्री प्रदीप कुमार	सहा. प्राध्या. समाजशास्त्र	एम.ए. (नेट)एम.फिल	95896-93148
4.	सुश्री गायत्री नेताम	सहा.प्राध्या. वाणिज्य	एम.कॉम (सेट)	92946-72775
5.	श्री आशीष गौतम	सहायक ग्रेड - 1	एम.कॉम	62636-51880
6.	श्री योगेश्वर साहू	सहायक ग्रेड - 2	एम.ए. बी.एस.सी.	97701-04733
7.	श्रीमती देवप्रभा साहू	प्रयोगशाला तकनीनिशियन	एम.एस.सी.	94060-01303
8.	डुमेन्द्र नायक	प्रयोगशाला परिचालक	एम.ए.	83496-87853
9.	श्री राजा सिंह	भृत्य	हायर सेकेण्डरी	94079-09293
10.	श्री विकास	भृत्य	8वीं	96445-46854
11.				
12.				
13.				
14.				

शासकीय महाविद्यालय खेरथा

nexa
nexa